

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, "बी" बिंग, अग्रस्त क्रांति अवन
शीकाजी कामा प्लैस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. CICOM/R/2017/00875

दिनांक 24.07.2017

सेवा मं,

श्री जमुना प्रसाद, पुन - श्री शिवलाल,

विषय- आयोग में पाप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 10.07.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 14.07.2017 को डायराइज दुआ (डायरी सं. 148490) तथा दिनांक 17.07.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि आपने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय से संबंधित सूचनाएं मांगी हैं तथा आपके हाथ मांगी गई सूचना का पारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के व्यायाचिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित आर.टी.आई. अवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग हार कोई कार्यालयी अपेक्षित नहीं है । अतः कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग के बहुत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के बिलाफ द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । यदि किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं की जाती है अथवा प्राप्त न हो तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय उन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित है, के समझ प्रथम अपील दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत लोक प्राधिकरणों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समझ द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के पावधानों के अंतर्गत किए गए प्राचार की छायाप्रतियों (स्वाक्षिप्राप्तियों) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई सूचना (यदि सूचना प्राप्त की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्राप्ति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबंधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री अर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अग्रस्त कांति अवन, भीकाजी कामा प्लैस, नई दिल्ली-110066, दूरध्वाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

(र. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,